राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 8, शुक्रवार, शाके 1933–सितम्बर 30, 2011
Asvina 8, Friday, Saka 1933–September 30, 2011

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

नगर निगम, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 17, 2011

संख्या एफ.6( )आ.राज.(सा.प्र.)/जननि/2011/224 :– नगर निगम जयपुर की साधारण सभा मीटिंग दिनांक 20–05–2011 के प्रस्ताव सं. 2 के द्वारा नगर निगम जयपुर (मोईबल टावर/पोल एन्टीना) उपविधियां, 2011 की स्वीकृति प्रदान की गई है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ उक्त उपविधियां प्रकाशित की जाती हैं।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 105 सपठित धारा 340 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर एतद्द्वारा नगर निगम जयपुर (मोईबल टावर/पोल एन्टीना) उपविधियां, 2011 नगर निगम जयपुर की साधारण सभा में स्वीकृति दिनांक 20 05 2011 से प्रभावशील होंगी।

नगर निगम जयपुर (मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना) उपविधियां, 2011

नगर निगम जयपुर की साधारण सभा की मीटिंग दिनांक 20–05–2011 के प्रस्ताव सं. 2 के द्वारा नगर निगम जयपुर (मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना) उपविधियां, 2011 की स्वीकृति प्रदान की गई हैं, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

टॉवर/पोल एन्टीना नगर निगम जयपुर क्षेत्र में स्थापित किये जाने के संबंध में व्याप्त जन सुरक्षा व सुविधा, भवनों की सुरक्षा, नेटवर्क की कनेक्टीविटी, शहर का हेरिटेज स्वरूप की रक्षा अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से बचाव के कार्य एवं बेहतर नगरीय सेवा के लिए जनहित में राजस्थान नगरपालिका अधिनिगम 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, जयपुर निम्न उपविधि बनाती है:–

1. **शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव:–**
   (क) यह उपविधियां नगर निगम जयपुर (मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना) उपविधियां, 2011 कहलायेगी।
   (ख) यह उपविधियां नगर निगम जयपुर की रागरत भौगोलिक सीमाओं में प्रभावशील होगी।
   (ग) यह उपविधियां तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी।

2. **शाब्दिक परिभाषाएं:–** जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधिगों के प्रजोनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यव्हृत होगी:–

   (i) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) से है;

   (ii) समिति से तात्पर्य नगर निगम जयपुर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अन्तर्गत समिति से है।

   (iii) स्थानीय निकाय से तात्पर्य नगर निगम जयपुर से है।

   (iv) उपयोग व उपभोग से तात्पर्य सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए भूमि अथवा भवन पर प्रसारण टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने से है।

   (v) अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत टॉवर/पोल ऐन्टीना पंजीयन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से हैं, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यरथ सेवक सम्मिलित होगा।

   (vi) "महापौर" से तात्पर्य नगर निगम के महापौर से हैं।

   (vii) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से तात्पर्य जयपुर नगर निगम के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी से हैं।

   (viii) "आयुक्त" से तात्पर्य नगर निगम जयपुर के आयुक्त से है जो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निगम द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

   (ix) अधिकृत प्राधिकारी से तात्पर्य स्थानीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जोन आयुक्त/आयुक्त (राजस्व) प्राधिकृत अधिकारी से है। अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उपविधियों के अन्तर्गत टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने की अनुमति व संचालन की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

(x) टॉवर/पोल ऐन्टीना से तात्पर्य नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में स्थित ऐसे समस्त भूमि अथवा भवन/फार्मों/सामुदायिक केन्द्रों/क्लबों/बैंक्वेट हॉल इत्यादि पर लगे टॉवर/पोल ऐन्टीना से [illegible] जो सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए प्रसारणार्थ उपयोग में लिये जाते है।

(xi) इन उपविधियों के साथ जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये हैं उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होगी।

3. निषेद्ध:–स्थानीय निकाय की सीमा में कोई व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी इत्यादि स्थानीय निकाय की अनुमति/लाईसेन्स प्राप्त किये बिना सेल्यूलर फोन्स, इन्टरनेट टेलिविजन, रेडियो एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए किसी भी प्रकार की भूमि अथवा भवन पर प्रसारण हेतु टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थानीय निकाय की बिना लिखित स्वीकृति के स्थापित या उपयोग अथवा दोनों नहीं कर सकेगा। इन उपविधियों के प्रभावी होने से पूर्व में स्थापित टॉवर/पोल ऐन्टीना हेतु नियत समय में, नियत प्रक्रिया से, नियत शुल्क के साथ आवेदन कर अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करना होगा अन्यथा अवैध मानकर स्थानीय निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. **अनुमति प्राप्त करने की प्रणाली:–** कोई व्यक्ति, संस्था, कम्पनी स्थानीय निकाय सीमा में स्थित भूमि अथवा भवन/फार्मों/सामुदायिक केन्द्रों/क्लबों/बैंक्वेट हॉल इत्यादि पर टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाना चाहता है अथवा इन उपविधियों के प्रभावी होने से पूर्व ही लगा हुआ है उसे स्वीकृति के लिए संबंधित अधिकृत प्राधिकारी को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र का शुल्क 1000/–रु होगा।

(i) सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए भवनों की छतों व खुले प्रसारण टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाये जाने हेतु आवेदन:–

(अ) कोई भी व्यक्ति या संस्था या कम्पनी इत्यादि द्वारा अकेले अथवा भागीदारी में स्थानीय निकाय की सीमा में स्थित किसी भी प्रकार की भूमि अथवा भवन इत्यादि पर टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थापित करने से पूर्व अथवा इन उपविधियों के प्रभावी होने से पूर्व में स्थापित टॉवर/पोल ऐन्टीना हेतु इन उपविधियों के प्रभावी होने से 15 दिवस के अन्दर, जैसा भी मामला हो, स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित शुल्क से साथ, इस निमित्त स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को आवेदन करना होगा। टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को चाहे किसी विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल एवं नगर विकास न्यास अथवा किसी भी बोर्ड/संस्था द्वारा विकसित किया गया हो तथा संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित नहीं किया गया हो, तब भी संबंधित नगर निगम में आवेदन करना होगा।

(ब) आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क, केन्द्रीय/राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया व्यावसायिक लाईसेंस, भवन मालिक का सहमति पत्र, स्ट्रेक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकट, टॉवर/पोल ऐन्टीना एवं अस्थायी निर्माण से संबंधित अधिकृत डिजाइन ड्राइंग्स इत्यादि इस उपविधि अनुसार संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र निगम द्वारा स्वीकृत करने के उपरांत आवेदनकर्ता को भेजे जाने वाले सूचना पत्र द्वारा भवन/भूखण्ड मालिक के साथ किए गए पंजीकृत लीज एग्रीमेंट अथवा समकक्ष दस्तावेज की मांग की जावेगी एवं यह प्राप्त होने पर निगम द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति या संस्था या कम्पनी इत्यादि से आवेदन प्राप्त होने पर इस नामित अधिकृत अधिकारी ऐसे आवेदन को आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर प्राप्त आवेदन की जांच कर समिति को अनिवार्य रूप से भिजवायेगा। परन्तु यदि ऐसा अधिकारी आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर जांच पूरी नहीं करता है तो यह जांच समिति द्वारा की जावेगी।

(स) समिति को कोई भी आवेदन प्राप्त होने पर समिति ऐसा आवेदन प्राप्त होने से 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर ऐसे आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की अनुशंसा करेगी। समिति के अस्तित्व में नहीं होने की दशा में या 15 दिवस में समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी, लाईसेंस अधिकारी, आयुक्त जोन/आयुक्त राजस्व द्वारा प्रथम बार आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिवस में निर्णय लेगें।

(ii) अनुज्ञा पत्र की अवधि:– अनुज्ञा पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किया जा सकेगा। संबंधित अधिकृत प्राधिकारी आयुक्त जोन/आयुक्त (राजस्व) को अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(iii) सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था की अनुमति:– प्रस्तावित टॉवर/पोल ऐन्टीना के निर्माण संबंधी किसी भी सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था की अनुमति की आवश्यकता हो तो वह अनुज्ञाधारी अपने स्तर से प्राप्त करेगा।

(iv) टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु स्ट्रक्चर:– टॉवर/पोल ऐन्टीना से संबंधित सम्पूर्ण स्ट्रक्चर अस्थाई होगा, लेकिन ढांचागत सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

(v) तडित चालक इत्यादि का प्रावधान:– अनुज्ञाधारी द्वारा अग्नि व आकाश में उत्पन्न बिजली से सुरक्षा हेतु तडित चालक का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।

(vi) भवन एवं नागरिकों की सुरक्षा:– अनुज्ञाधारी [illegible]
[illegible]

तो अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नही होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक टॉवर हेतु मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/- रुपये प्रति वर्ग फीट या 5,000/- रुपये जो भी अधिक हो, भी अदा करने होंगे।

(ii) पोल एन्टीना हेतु पंजीयन व मासिक शुल्कः- पोल एन्टीना हेतु प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ पोल एन्टीना लगाने हेतु 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में नगर निगम जयपुर में जमा कराने होंगे।

यदि एक पोल एन्टीना अन्य सेवाप्रदाता द्वारा शेयर किया जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त एन्टीना हेतु आवेदक द्वारा 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) जमा कराने होंगे, लेकिन यदि उसी सेवाप्रदाता द्वारा अतिरिक्त एन्टीना उसी टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोल एन्टीना हेतु मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/- रुपये प्रति वर्ग फीट या 2,000/- रुपये जो भी अधिक हो, भी अदा करने होंगे।

नोटः- पोल एन्टीना से तात्पर्य ऐसे पोल से है, जो एक या एक से अधिक मुख्य टॉवर्स से उपभोक्ता के सम्पर्क सम्प्रेक्षण को अतिरिक्त प्रभावशाली बनाने हेतु स्थापित किए जाते है।

(iii) पूर्व में स्थापित टॉवरों की अनुज्ञा के संबंध मेंः- वर्तमान में स्थापित टॉवरों के संबंध में पंजीकरण फीस 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अनुज्ञा हेतु नगर निगम जयपुर में आवेदन करने होंगे। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नही होगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से मासिक अनुज्ञा शुल्क 10/- रुपये प्रति वर्ग फीट या 5,000/-(अक्षरे पांच हजार रुपये) जो भी अधिक हो, भी वसूलीय होगा।

(iv) पूर्व में स्थापित पोल एन्टीना के पंजीयन व मासिक शुल्कः- वर्तमान में स्थापित टॉवरों के संबंध में पंजीकरण फीस 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अनुज्ञा हेतु नगर निगम जयपुर में आवेदन करने होंगे। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से मासिक अनुज्ञा शुल्क 10/- रुपये प्रति वर्ग फीट या 2,000/-(अक्षरे दो हजार रुपये) जो भी अधिक हो, भी वसूलनीय होगा।

(v) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के साथ प्राप्त ऐसे आवेदन जिन्हें निगम द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है उनकी रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क की राशि आवेदक को लौटा दी जावेगी।

(vi) मासिक अनुज्ञा शुल्क जमा कराने की अवधिः- तीन माह का मासिक अनुज्ञा शुल्क अग्रिम जमा कराना होगा साथ ही मासिक अनुज्ञा शुल्क प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा कराना होगा। टॉवर/पोल ऐन्टीना माह के किसी भी दिन में लगाने व हटाने पर उक्त माह का सम्पूर्ण शुल्क कराना होगा। अनुज्ञा अवधि हेतु यह राशि एकमुश्त भी जमा करायी जा सकेगी।

(vii) मासिक शुल्क में छूटः- अनुज्ञाधारी यदि मासिक शुल्क को एक साथ सम्पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम जमा कराना चाहता है तो उसे 10 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। लेकिन ऐसी अग्रिम राशि माह अप्रेल की 10 तारीख तक जमा करनी होगी। वार्षिक अनुज्ञा फीस वित्तीय वर्ष अनुसार माह अप्रेल से मार्च तक देय होगी।

(viii) विलम्ब से फीसः- विलम्ब से फीस/राशि अदा करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज नगर निगम जयपुर द्वारा वसूल किया जायेगा तथा तीन माह तक की अनुज्ञा राशि की अदायगी नहीं होने पर जारी अनुज्ञा स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा टॉवर/पोल ऐन्टीना से संबंधीत मशीन एवं स्ट्रेक्चर को नगर निगम जयपुर जब्त कर सकेगी।

16. **नवीनीकरण :- अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण फीसः-** अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञा अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व अनुज्ञापत्र की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन मय अनुज्ञापत्र आवेदन हेतु उक्त उपविधि के क्लाज 15 (i) व (ii) में निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क जमा कराना होगा।

17. **मासिक अनुज्ञा शुल्क स्थानान्तरणः-** मासिक अनुज्ञा शुल्क नगर निगम जयपुर में जमा कराना होगा। टॉवर/पोल ऐन्टीना का क्षेत्र अन्य नगर क्षेत्र को स्थानान्तरित होने पर ऐसी नगर निकाय को मासिक अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

18. **राजकीय विभागों से शुल्क वसूलनीय नहीं होगाः-** पुलिस, सुरक्षाबल एवं सरकारी विभाग द्वारा स्थापित टॉवर/पोल ऐन्टीना के संबंध में कोई शुल्क वसूलनीय नहीं होगा।

19. **टॉवर/पोल ऐन्टीना को हटाने के आदेश पर इन्हें हटाया जाना आवश्यक होगाः-** नगर निगम जयपुर/राज्य सरकार/संस्था द्वारा टॉवर/पोल ऐन्टीना को हटाने हेतु आदेश दिये जाने पर कम्पनी को तुरन्त टॉवर/पोल ऐन्टीना हटाना होगा। यदि टॉवर/पोल ऐन्टीना को नहीं हटाया जाता है तो नगर निगम जयपुर द्वारा अपने स्तर से उक्त टॉवर/पोल ऐन्टीना को हटा कर जब्त कर लिया जायेगा तथा उक्त कार्यवाही पर होने वाले व्यय की राशि अनुज्ञाधारी/संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय होगी।

20. **टॉवर/पोल ऐन्टीना की जब्तीः-** बिना अनुमति/अनुज्ञा के लगाये टॉवर/पोल ऐन्टीना को नगर निगम जयपुर जब्त कर सकेगी एवं उसको हटाने का व्यय संबंधित से वसूलनीय होगा एवं अन्य कानूनी कार्यवाही उनके विरुद्ध की जावेगी।

21. **टॉवर/पोल ऐन्टीना एवं भवन इत्यादि से नुकसान पर हर्जा के संबंध मेंः-** टॉवर/पोल ऐन्टीना एवं भवन इत्यादि से नुकसान पर हर्जा के संबंध में प्रत्येक प्रकार के हर्जे, नुकसान इत्यादि के लिए स्वयं

स्टील के कॉलम एवं तथा तकनीकी दृष्टि से भूकम्परोधी एवं तेज गति से आने वाले तुफानों को सहन करने की क्षमता वाले हैं।

(vii) संरचना एवं स्थिरता प्रमाण–पत्रः– भवन जिस पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाया जाना प्रस्तावित है, की संरचना एवं स्थिरता (Structural design & stability) बाबत् निम्न में से किसी एक संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:–

(a) M.N.I.T. Jaipur/BITS Pilani/Any Government Engg. College, Rajasthan.
(b) Rail India Technical & Economic Service, Delhi (RIES)
(C) National Council for Building Material, Faridabad.
(d) Executive Engineer Concerned, Public works Department, Rajasthan.
(e) Government Registered Chartered Engineers (Including those registered with ULBs)

5. **प्रकियाः**– अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार टॉवर/पोल एन्टिना पंजीयन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति नगर निगम मुख्यालय, संबंधित जोन कार्यालय, संबंधित वार्ड के वार्ड कार्यालय/हाजिरीगाह एवं संबंधित भवन पर चस्पा कराकर आपत्ति मांगी जाएगी। 7 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात निर्धारित प्रक्रियानुसार टॉवर/पोल ऐन्टीना का पंजीयन किया जा सकेगा। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवायी की जाकर प्रकरण का निस्तारण स्थानीय निकाय के संबंधित जोन आयुक्त द्वारा किया जाएगा। पूर्व में स्थापित टॉवर/पोल ऐन्टीना पर भी यह प्रक्रिया लागू होगी।

6. **अपीलः**– टॉवर/पोल ऐन्टीना की अनुमति/लाईसेंस के लिये प्राप्त आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति या नियत समय में किसी भी स्तर पर निर्णय नहीं होने पर अर्थात अनिर्णय पर, ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति या अनिर्णय बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति या अनिर्णय की जानकारी होने से 30 दिवस के अन्दर नियम उपनियम समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा। आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण नियम उपनियम समिति द्वारा किया जावेगा।

7. **आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमाः**– स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की 60 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृत/अस्वीकृत के संबध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

8. **प्रतिबंधितः**–

(a) सूचीबध पुरातत्व एवं हैरिटेज से संबंधित किसी भी भवन पर टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।

(b) स्कूल, अस्पताल पर टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नही होगी।

9. **टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु सडक की अपेक्षित न्यूनतम चौडाईः**– खुले स्थानों/भूखण्डों/भवनों नये टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल की एप्रोच सडक 30'–0' फीट से कम नहीं होनी चाहिए। परन्तु पूर्व में लगे हुए टॉवर/पोल ऐन्टीना के स्थलों के एप्रोच रोड की चौडाई 30' फिट होने की बाध्यता नहीं होगी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में सड़क की चौड़ाई में छूट दिये जाने का निर्णय महापौर द्वारा लिया जा सकेगा।

10. **टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु न्यूनतम भूखण्ड की माप अपेक्षितः**– खुले स्थानों पर टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थापित करने हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 900 वर्ग फिट होना आवश्यक है परन्तु भूखण्ड की लम्बाई व चौड़ाई प्रत्येक 20' फीट से कम नहीं होगी। परन्तु कम से कम चारो ओर 5 फीट का सेटबैक छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

11. **टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु भूखण्ड स्वामी के साथ लिखित अनुबंध अपेक्षितः**– टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थापित किये जाने हेतु भवन अथवा भूखण्ड स्वामी एवं आवेदक के मध्य विधिक रूप से पंजीकृत अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।

12. **टॉवर/पोल ऐन्टीना सहभागी आधार पर लगाने की अनुमतिः**– एक टॉवर/पोल ऐन्टीना पर शेयरिंग बेसिस पर मूल अनुज्ञाधारी की सहमति से अतिरिक्त एन्टीना लगाने हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी, यदि वह अन्य सभी दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं। एक टॉवर/पोल ऐन्टीना का आवेदन अकेले अथवा सहभागिता के आधार पर किया जा सकेगा। परन्तु एक टॉवर/पोल ऐन्टीना का आवेदन की स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति/लाईसेंस जारी करने के पश्चात् ऐसे टॉवर/पोल ऐन्टीना पर भागीदारी स्थानीय निकाय की पूर्व सहमति आवेदन के लिये विहित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य है।

13. **ध्वनि प्रदूषण से मुक्त डी.जी. सेट आवश्यकः**– प्रसारण टॉवर/पोल ऐन्टीना के संचालन के लिए ध्वनि प्रदूषण से मुक्त डी.जी. सेट लगाना नियमानुसार अनुज्ञेय होंगे। इस हेतु आवश्यकतानुसार अनुमति अलग से संबंधित संस्था से प्राप्त करनी होगी।

14. **हेरिटेज घोषित किये जाने पर टॉवर/पोल ऐन्टीना हटाया जानाः**– भवन/भूखण्ड को हेरिटेज घोषित किये जाने पर उस पर स्थापित टॉवर/पोल ऐन्टीना तत्काल हटाये जायेंगे।

15. **टॉवर/पोल ऐन्टीना अनुज्ञापत्रधारी से निम्नानुसार शुल्क लिया जायेगाः**–

(i) **टॉवर हेतु पंजीयन व मासिक शुल्कः**– प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रुपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में नगर निगम जयपुर में जमा कराने होंगे।

यदि एक टॉवर को दो से अधिक सेवाप्रदाताओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त प्रत्येक सेवाप्रदाता द्वारा 25,000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में जमा कराना होगा, लेकिन यदि उसी सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त एन्टीना एवं टॉवर पर लगाया जाता है

अनुज्ञाधारी/भवन मालिक जिम्मेदार होगा तथा राज्य सरकार अथवा नगर निगम जयपुर की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

22. **टॉवर/पोल ऐन्टीना का सर्वेक्षण:**— नगर निगम जयपुर अपने क्षेत्र में स्थापित सभी टॉवर/पोल ऐन्टीना का सर्वेक्षण इस आदेश के जारी होने के एक माह के अन्दर-अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु संस्था द्वारा एक रिकार्ड रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

23. **भवन पर टैक्स/फीस निकाय की बकाया होने पर अनुज्ञा देय नहीं होगी:**— ऐसे भवन एवं प्लाट में टावर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु अनुज्ञा जारी नहीं की जा सकेगी जिसकी मालिकों द्वारा नगर निगम जयपुर को देय किसी भी टैक्स/फीस इत्यादि अदा नहीं की गई हो।

24. **निकाय के जांच का अधिकार:**— नगर निगम जयपुर को समय-समय पर टॉवर/पोल ऐन्टीना की जांच करने बाबत् पूर्ण अधिकार होगा। जांच अधिकारी राजस्व अधिकारी/सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी से कम का नहीं होगा।

25. **अभियोजन:**— नगर निगम जयपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो राजस्व अधिकारी/सहायक अभियन्ता से कनिष्ठ पद का नहीं होगा, टॉवर/पोल ऐन्टीना का स्थल निरीक्षण कर सकेगा। यदि निर्देशित शर्तो उपविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 7 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित कर अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया जाकर संबंधित विभाग को प्रदत्त शक्तियों से टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थल का स्थानीय उपविधियों के अन्तर्गत सीज किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेगी। इन उपविधियों में किसी भी उपविधि का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा 10,000/- (दस हजार रुपये) तक का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक 1,000/- (एक हजार रुपये) प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा।

26. **स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षित:**— टॉवर/पोल ऐन्टीना अनुमति पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्थानीय निकाय को टॉवर/पोल ऐन्टीना हेतु जारी अनुमति पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किये बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

साधारण सभा की आज्ञा से।

राजेन्द्र प्रसाद सिंघल,
आयुक्त (राजस्व),
नगर निगम, जयपुर।

एम.पी.मीना,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त,
नगर निगम, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।